

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2565]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2013/कार्तिक 17, 1935

No. 2565]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2013/KARTIKA 17, 1935

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

का.आ. 3404(अ).—अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 16 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2786(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2010 द्वारा तारीख 16 नवम्बर, 2010 को महादायी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अन्तरराज्यिक महादायी नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय को तीन वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् तारीख 15 नवम्बर, 2013 को या उससे पूर्व देना अपेक्षित है;

और अपरिहार्य कारणों से उक्त अधिकरण अपनी रिपोर्ट उक्त तीन वर्ष की उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका है और उक्त अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अवधि को दो वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित करने की शक्ति है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महादायी जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 16 नवम्बर, 2013 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा. सं. 19/4/2010—बी.एम.]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF WATER RESOURCES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2013

S.O. 3404(E).—Whereas, the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 16th November, 2010 *vide* notification number S.O. 2786(E), dated the 16th November, 2010 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 16th November, 2010, under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter referred to as the said Act) for the adjudication of the water disputes relating to the Inter-State River Mahadayi and the river valley thereof;

And whereas the said Tribunal is required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act within a period of three years, i.e. on or before the 15th November, 2013;

And whereas, due to unavoidable reasons, the said Tribunal is unable to submit its report within the said period of three years and has requested the Central Government to extend the period of submission of its report and decision;

And whereas, under the proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government has power to extend the period for a further period not exceeding two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Mahadayi Water Disputes Tribunal for a further period of one year with effect from the 16th November, 2013.

[F. No. 19/4/2010-BM]

URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)